न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 218/2026
भदौर थाना कांड संख्या 23/2026

---

1. लल्लु महतो, पिता स्व0 कपिल महतो, उम्र करीब 52 वर्ष,
2. स्वारथ महतो, पिता स्व0 कपिल महतो, उम्र करीब 68 वर्ष एवं
3. योगेन्द्र महतो, पिता स्वारथ महतो, उम्र करीब 42 वर्ष

साकिन–बकवा बिघा, थाना भदौर, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मृत्युंजय कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

12.05.2026 आवेदक अभियुक्त 1. लल्लु महतो, 2. स्वारथ महतो एवं 3. योगेन्द्र महतो की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद भदौर थाना कांड संख्या 23/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है और इन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा जैसी घटना बतायी गयी है, वैसी घटना नहीं घटी है। संपूर्ण अभियोजन कथानक झूठा, बनावटी एवं सत्यता से परे है। उभय पक्ष एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं। प्रस्तुत वाद में धारा 109 भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम का आरोप नहीं बनता है तथा उक्त धाराओं को छोड़ अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं। आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध 27 शस्त्र अधिनियम आरोप झूठा एवं बनावटी है और किसी भी तरह से आकर्षित नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि सूचक एवं लल्लु सिंह अभियुक्तों के घर के पास शराब पीते थे, जिसका विरोध किये जाने पर अभियुक्तों के परिवार को गाली दिया और हमला किया, जिसका शिकायत भदौर थाना से की गई तो शिकायत दर्ज नहीं किया गया तथा उसी घटना को लेकर सूचक गलत इरादे से केस दर्ज करवा दिया। आवेदक अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 218/2026
भदौर थाना कांड संख्या 23/2026

लगातार
12.05.2026

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

प्रस्तुत वाद के सूचक रामानुज सिंह हैं। अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.02.2026 को शाम 6 बजे सूचक अपने तलाब एवं खेत देखकर घर बकामां वापस आ रहे थे, जैसे ही प्रा0 वि0 बकामां बिघा के पास से नदी में उतरे तो लल्लु महतो हाथ में लिये खंती को इन पर चला दिया जो सूचक के सिर पर लागा। उसके बाद सूचक जब भागने लगा तो स्वारथ महतो हाथ में लिये पिस्टल से गोली चला दिया। उसके बाद जोगिन्दर महतो हाथ मे लिये कट्टा से गोली चला दिया। इसी बीच सूचक भागते हुए गांव के लोगों को आवाज दिया तो कुछ लोग उधर से दौड़े तो किसी तरह जान बचाकर नदी के इस पार आया। अभियुक्तगण आदमी को देखकर भाग गया। नदी के पार गिर गये तो बकामां के लोग उठाकर ले गए और ईलाज के लिए बाढ़ लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पी.एम.सी.एच. रेफर कर दिया गया। पांच में से तीन लोगों को पहचाना एवं दो लोग को नहीं पहचान सका। सभी बकामां विघा के निवासी हैं। करीब 4 महीना पूर्व में लल्लु महतो ने पांच लाख रुपया रंगदारी मांगा था और नहीं देने के बाद जान से मारने का धमकी दिया था।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्तों पर सूचक को खंती से सर पर मारकर एवं पिस्टल से गोली चलाकर जख्मी कर देने का आरोप है तथा जख्मी का ईलाज पी.एम.सी.एच. में कराये जाने की बात कही गई है। प्राथमिकी के अनुसार घटना का कारण पूर्व में 5 लाख की रंगदारी की मांग किये जाने पर रंगदारी नहीं देने के कारण घटना कारित किये जाने की बात कही गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि पारा–7, 8 में साक्षी उमाशंकर सिंह एवं परशुराम सिंह ने अभियुक्तों द्वारा खंती से मारकर सूचक के सिर पर जख्म कारित कर देने एवं उसके भागने के क्रम में उस पर गोली चलाये जाने की बात कही गई है। पारा–24 में वादी ने अपने पुनः बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है तथा अभियुक्तों द्वारा उसे मारकर जख्मी किये जाने की बात कही गई है। पारा–32 में आवेदक अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास नहीं होने की बात कही गयी है। पारा–38 में जख्मी वादी रामानुज के जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसमें उसके सिर पर पांच जख्म कारित होने का वर्णन है, जिसमें 3 जख्म उसके सिर पर कारित है, जो निम्न है।––

1. A abrasions on parietal region of the head 1½ x ½ inch.
2. A abrasions on frontal region of the head 1½ x ½ inch.
3. A abrasions on fronto pariental region of the head 2 x ½ inch.

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 218/2026
भदौर थाना कांड संख्या 23/2026

लगातार

12.05.2026

4. A abrasions on left forearm ½ x ½ inch.

5. Pain in left hand, Advice X-ray of hand

Opinion reserved till the NCCT Brain and X-ray report opinion comes

जख्मों की प्रकृति के संदर्भ में राय सुरक्षित रखा गया है। प्राप्त कांड दैनिकी में पूरक जख्म प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। सूचक की ओर से जख्मों की छायाचित्र भी दाखिल किया गया है, जिसमें उसके सिर पर कई गंभीर जख्म दर्शित होता है। यद्यपि प्राथमिकी में खंती से एक बार मारे जाने का वर्णन है तथापि जख्म प्रतिवेदन में जख्मी के सिर पर 3 एवं उसके बांह पर दो जख्म कारित होने की बात का वर्णन है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों द्वारा उस पर कई बार वार किया गया है। अभियुक्त पर सूचक पर जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर देने का गंभीर आरोप है। वाद अभी अनुसंधानरत है।

उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दुष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण 1. लल्लु महतो, 2. स्वारथ महतो एवं 3. योगेन्द्र महतो को इस स्थल पर अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इनका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ